बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध पी0डी0एस0 दुकान के गोदाम को सील नहीं किये जाने, भंडार पंजी पर निरीक्षण तिथि को कोई टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने, भंडार पंजी को जब्त नहीं किये जाने तथा गोदाम सील नहीं करने के कारण अक्रामक भीड़ के प्रतिरोध एवं उग्र होने तथा इसका जिक्र दर्ज प्राथमिकी में नहीं किये जाने संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–51 दिनांक–12.01.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–2072 दिनांक–04.05.2022 द्वारा इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3001 दिनांक–21.06.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत श्री कमालुद्दीन की 02 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री कमालुद्दीन द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–20.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से इनके विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–3001 दिनांक–21.06.2024 को निरस्त (set aside) किया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया।

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2729 दिनांक–09.10.2025 द्वारा श्री कमालुद्दीन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

2. उक्त के क्रम में श्री कमालुद्दीन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–505 दिनांक–29.01.2026 द्वारा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की जाँच नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि एक अन्य सदृश मामले में सम्बद्ध सम्पूर्ण घटनाक्रम को लेखबद्ध करते हुए पुनः अनुशासनिक कार्रवाई संचालित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की माँग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्शित किया गया कि ...... विचाराधीन मामले में प्रशासी विभाग द्वारा नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करने के उपरान्त इनके विरूद्ध पुनः अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया जाना नियमसम्मत् नहीं है। अपीलीय प्राधिकार द्वारा Remand किये जाने पर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने, उसका पक्ष सुनने एवं तदोपरान्त समुचित निर्णय लिये जाने की कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से अपेक्षित है।

फलतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–505 दिनांक–29.01.2026 द्वारा श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध नये सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है। प्रस्तुत मामले में श्री कमालुद्दीन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर समुचित निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में पृथक आदेश से निर्गत किया जायेगा।

3. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

16/4/2026

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सिवान)–01/2022 – 1824 खाद्य, पटना/दिनांक–16/04/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, सिवान एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रशाखा पदाधिकारी–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।